# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 237 / 2022

| प्रार्थीनी | बनाम | अप्रार्थीनी |
| --- | --- | --- |
| 1 जीयोंदेवी पत्नी खेताराम जाति प्रजापत निवासी लांणीकाठा, मंगने की ढाणी, तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर। | | 1 सुगणीदेवी पत्नी नगाराम जाति प्रजापत निवासी लाणीकांठा, मंगने की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.**

उपस्थिति :— 1 श्री सुनिल बीएल रामावत, वकील प्राथीर्नी पक्ष।

2 श्री पदमाराम परिहार, वकील अप्रार्थीनी पक्ष।

## आदेश

दिनांक 22/09/22

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 587 / 137 रकबा 18.00 बीघा भूमि का आया हुआ है। प्रार्थीनी ने उक्त खातेदारी के खेत में से अप्रार्थीनी को जरियं पंजीबद्ध बेचान दिनांक 18.09.2020 को 06.00 बीघा भूमि का बेचान किया, जिसका नामान्तकरण संख्या 221 / 2020 भरवाया गया जिस पर अप्रार्थीनी का खसरा संख्या 702 / 137 रकबा 06.00 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज हुई, जिसके अनुसार अप्रार्थीनी का कब्जा काश्त कर प्रार्थीनी की सेढा—सेढ काबिज हुई। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीनी के सेढा—सेढ सड़क हेतु ऑनलाईन नक्शा जमाबन्दी प्राप्त करने पर कब्जा काश्त अनुसार व बेचान अनुसार तरमीम नही करने का अंदेशा हुआ, तब नामान्तकरण संख्या 221 / 2020 की नकले प्राप्त की तब खसरा संख्या 587 / 137 व 702 / 137 की गलत तरमीम का ज्ञान हुआ। लिहाजा प्रार्थीनी के उक्त खातेदारी की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ 'अ' अनुसार करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीनी ने ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीनी की खरीदसुदा भूमि की पंजीबद्ध बेचान दिनांक 18.09.2020 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 221 पारित किया गया जिसमे पटवारी हल्का ने खसरा संख्या 702 / 137 का अंकन कर नामान्तकरण की पुश्त पर पक्षकारान द्वारा दिशाओं की अज्ञानता वश बने गलत नजरी नक्शे अनुसार पंजीबद्ध बेचान में स्पष्ट लिखे भौतिक रूप से मौके पर आकर तरमीम नही की गई है। प्रार्थीनी ने दिनांक 18.09.2020 को अप्रार्थीनी को जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र में हिस्सा खोल स्पष्ट लिखा था कि पूर्व दिशा में भोमाराम, वीरमाराम, गोमाराम वगैरा का खेत, पश्चिम दिशा में रेखाराम व हीराराम पिसरान आईदानराम का खेत, उतर दिशा में रूपाराम का खेत व दक्षिण दिशा में विक्रेता प्रार्थीनी की शेष भूमि का खसरा संख्या 587 / 137 की भूमि है, जो प्रार्थना पत्र में परिशिष्ठ 'अ' अनुसार दर्शाये बरंग लाल अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त है, जो परिशिष्ठ 'अ' सही है। लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 702 / 137 मौजा लाणीकांठा की तरमीम परिशिष्ठ 'अ' अनुवसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 587/137 रकबा 18.00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज यथा नामान्तकरण संख्या 221, नक्शा, चालू जमाबन्दी तथा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 18.09.2020 का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान तरमीम अशुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अप्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 702/137 रकबा 06.00 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" में दर्शाये बरंग लाल अनुसार दुरूस्त की जाती है। आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22/09/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर